न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 368/2023 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/393)

खातुन पत्नी मजीद जातियान मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.07.2023 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर वउनवानी सरकार बनाम खातुन प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022

उपस्थितिः–

श्री विजय शंकर सैनी वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 28.12.2023

उक्त प्रथम अपील एल.आर.एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरा नंबर 709 रकबा 0.25 है0 साबिक खसरा नंबर 535 मिन एक बीघा वाके ग्राम पीलवा नदी में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसमें बाद कार्यवाही अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट के आवंटन शर्तों की पालना नहीं मानकर रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त कर अपीलान्ट को आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश दिनांक 17.07.2023 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पों0 की तलबी जरिये समन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पों0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2023 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत है। अपीलान्ट एक भूमिहीन व्यक्ति है जो कि राजस्व ग्राम पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर का निवासी है। अपीलान्ट के भूमिहीन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पीलवा नदी के साबिक खसरा नंबर 535 मिन में से एक बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसके हाल खसरा नंबर 709 है। आवंटन से पूर्व आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के तहत विधिवत उद्घोषणा जारी की गई थी जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी या जो भूमिहीन थे उनसे कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित करवाने हेतु विधिवत आवेदन प्राप्त किये गये थे। अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

द्वारा उक्त अधिसूचना के क्रम में नियम 8 के तहत भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के राजस्व कार्मिकों द्वारा जांच करने के बाद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वसमिति से अपीलान्ट के पक्ष में भूमि का आवंटन किये जाने का आदेश दिया गया था। आवंटन के बाद अपीलान्ट को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था तभी से उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा प्रतिवर्ष फसल उगायी जाती है परन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही कर केवल पटवारी हल्का द्वारा घर बैठकर तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2023 को पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर लगभग 23 वर्षों से अपीलान्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस आधार पर तहसीलदार द्वारा भी नियमन किये जाने की सिफारिश की गई थी परन्तु अदालत मातहत ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2023 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.05.2000 को ग्राम पीलवा नदी में किया गया आवंटन बहाल किये जाने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2023 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील मियाद बाहर दिनांक 06.09.2023 को पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है परन्तु माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राज0 उच्च न्यायालय की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालयों को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिये तथा अपील को तकनीकी बिन्दु पर खारिज किये जाने से बचना चाहिये। ऐसी स्थिति अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किये जाने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित मानकर अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को निर्णित किया जा रहा है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो गुणावगुण के आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2023 में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है क्योंकि अपीलान्ट को आवंटन सलाहकार समिति की ओर से ग्राम पीलवा नदी में साबिक खसरा नंबर 535 मिन रकबा 1 बीघा का दिनांक 26.05.2000 को किये गये आवंटन के संबंध में तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से भू–राजस्व अधिनियम के आवंटन नियम 1970(कृषि प्रयोजनार्थ) के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किये जाने बाबत् अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है तथा भूमि पडत है। प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नामान्तरकरण संख्या 728 की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से अपीलान्ट जो कि अप्रार्थी थे, को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में अभिभाषक भी उपस्थित हुए हैं परन्तु आवंटन शर्तों की पालना किये जाने अथवा आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अदालत मातहत में प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत मातहत की ओर से पर्याप्त मौका दिये जाने के बावजूद अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा अपना पक्ष अदालत मातहत में नही रखा गया। इसलिए विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने रैस्पों0/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2023 पारित किया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलान्ट/अप्रार्थी को ग्राम पीलवा नदी में आराजी खसरा नंबर 535 मिन रकबा 1 बीघा हाल खसरा नंबर 709 रकबा 0.25 है0 का आवंटन किया गया था। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत चकबिलौली व पटवारी हल्का चकबिलौली की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी संवत् 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पडत पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना मानकर तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से प्रस्तुत 14(4)संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश दिये हैं। अपीलान्ट की ओर से मौखिक बहस में तो यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर आवंटन के दिनांक से ही अपीलान्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा आवंटन से लेकर आज दिनांक तक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा आवंटन शर्तों की पालना की गई है परन्तु उक्त तर्कके समर्थन में किसी तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में ही प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर भूमिधारी तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से अदालत हाजा में अपीलान्ट को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाये जाने की रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 व खसरा गिरदावरी आदि की प्रति प्रस्तुत की है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन शर्तों की पालना नही किये जाने के आधार पर भूमिधारी की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को नियमानुसार स्वीकार कर अपीलान्ट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त कर पुनः राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर